हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की ताम में जारी हु
26.8.24 पत्रावली पेशी में ली गई। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे हो आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज पेशी में ली गई। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र में सुनी जा चुकी है हम प्रार्थना पत्र को मुख्य तीन बिन्दुओं के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है-	
1. प्रथम दृष्टया मामला:-	
प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है तथा अपने-अपने नाम दर्ज आराजी को लेकर हिस्सों का विवाद नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में प.न. 98/206 (19) कि.न. 1 सालम व कि. नं. 2 का 8 बिस्वा अपने कब्जा में आपसी बंटवारा अनुसार होने का कथन किया है। साक्ष्य के तौर पर आपसी बंटवारा होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है, अप्रार्थी सं. 1, 6 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें प्रार्थी के हिस्सा में प.न. 98/206 (19) कि.न. 1/.175, 2/.175 अंकित किया गया है जिस पर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किये है जिसकी प्रार्थी ने इनकारी नही की है, उक्त दोनों विवरण विरोधाभाषी है। यह भी है कि प्रार्थी का वाद पत्र खाता विभाजन को लेकर इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विशिष्ट भू-भाग का निर्धारण किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2. सुविधा का संतुलन:-

चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है, अभिलिखित खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी रहने से अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है इसलिए सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति:-

हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निशेधाज्ञा जारी रहती है तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों पक्ष अभिलिखित खातेदार की हैसियत से अपने नाम दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करने में वंचित हो सकते है जिससे इनके हित प्रभावित हो सकते है।

अतः अस्थाई निशेधाज्ञा के तीनों सारवान बिंदू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है लिहाजा इस न्यायालय द्वारा पारीत एकपक्षीय स्थगनादेश दिनांक 22/05/2025 तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।